संख्या-5/2021/यू0ओ0-70/एक-1-2021

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
मेरठ, मुरादाबाद, बरेली,
लखनऊ व प्रयागराज।

2. जिलाधिकारी,
मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2021

विषय:- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पुनर्ग्रहण के माध्यम से ग्राम सभा की भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1)(ग) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि नि:शुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-5/2018/1934/एक-1-2018-रा0-1 दिनांक-04/09/2018 द्वारा शासनादेश दिनांक-03/06/2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में आंशिक संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि पुनर्ग्रहण का मूल्य जहां वह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों हेतु पुनर्ग्रहीत हो, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट या बाजारू दर के समतुल्य निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा की जायेगी।

2- उक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आच्छादित जनपदों यथा- मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज के जिलाधिकारियों द्वारा ग्राम सभा के स्वामित्व अर्थात् ग्राम सभा के प्रबन्धन में निहित भूमि का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण कर औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश तदनुसार पूर्व में निर्गत एतद् विषयक राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) एवं शासनादेश संख्या-5/2018/1934/एक-1-2018-रा0-1 दिनांक-04/09/2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त दोनों शासनादेशों के शेष अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/19/020-सी0 एक्स0(1), दिनांक 25 नवम्बर, 2020 के क्रम में।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को उनके पत्र संख्या-614/यूपीडा 19/1369/भू-लेख, दिनांक-24.05.2021 के क्रम में।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।